

तारीख हुक्म

17.12.24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। उत्तरवादी-
 शण स. 03 की मोर से श्री देवराज चौधरी ने
 वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिशाल है। शेष
 उत्तरवादी शण विधिवत तामिली के बावजूद भु।
 न्यायालय सभ में शेष प्रां. 1, 2 को रक-रक
 कर तीन बार मजान की लेकिन कोई उप. नहीं
 लिहाजा उत्तरवादी 1 व 2 की विरुद्ध रक तरफ
 कार्यवाही कमल में लाई जाती है। पत्रावली
 वाले उत्तरवादी स. 03 के जवाब के इंतजार
 लेकर आईस 21.01.2025 को पेश है।

21-01-25

पत्रावली पेश हुई।
 आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में
 व्यस्त है। अतः इलवा होकर पत्रावली
 भाइन्दा.....को पेश हो।
 18-3-25

18.3.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीमागण वकील उपस्थित।
 विप्रार्थी उनके वकील श्री देवाण चौधरी का
 वकालत नामा शामिल मिशाल। पत्रावली विप्रार्थी स.
 3 के जवाब व शेष का इंतजार लेकर आईस
 15.4.2025 को पेश है।

15.4.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीमागण वकील उपस्थित।
 विप्रार्थी संख्या 03 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी
 स. 1, 2, 4 के नैरिय विधिवत तामिली के बावजूद
 अनुपस्थित लिहाजा उनके विरुद्ध रक तरफ कार्यवाही
 कमल में लाई जाती है। उभय पक्ष विद्वान आदीवता
 ने पत्रावली में सीधे बहल का निवेदन किया।
 पर विप्रार्थी संख्या 03 का जवाब रक किया जाकर
 प्रार्थन-पत्र पर उभय पक्ष विद्वान आदीवता की बहल

बहस सुनी। उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा पार्शना-
पत्र के संबंध में मूल दावा प्राथमिक डिक्ली हो
चुका है जो कि फाइनल डिक्ली होना तय है अतः
अर्थात् निषेधाज्ञा का निवेदन किया। मैंने पञ्जावली
में सेल्मन दस्तावेजों का हथान पूर्वक अवलोकन
किया एवं उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस
पर मनन किया। चूंकी पार्शना-पत्र के संबंध में
दर्ज मूल दावा प्राथमिक डिक्ली हो चुका है जिसका
अंतिम डिक्ली होना तय है। अतः न्यायालय द्वारा
द्वारा तहसील डोटीमना पश्चात् हल्का लख
के राजस्व ग्राह मीलों की बत्ती के आतास-
74 खसरा संख्या 187/1.5540 है व आतास
संख्या 56 बसरा संख्या 158/7.0011 है। मैं
जारी अंतिम अर्थात् निषेधाज्ञा डिक्ली
29.10.2024 को मूल दावा के फैसल होने
तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। पञ्जावली
फैसल सुमार होकर मूल दावा के लाभ नहीं हो।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना